

**ग्राम पंचायत भलोह, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017**

1 प्रस्तावना:—

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भलोह, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती मंजुला वर्मा	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्री राजेन्द्र ठाकुर	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चन्द ठाकुर	27.7.2008 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:—

ग्राम पंचायत भलोह के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.28
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.07
3	8	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Musteroll भुगतान हेतु की राशि का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	2.79
4	10	दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना	15.95

5	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय किया जाना	4.96
6	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.37
7	13	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भण्डार रजिस्ट्रों में प्रविष्टि न किया जाना	0.51
8	14	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	0.10

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत भलोह, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.7.2017 से 21.7.2017 के दौरान ग्राम पंचायत भलोह में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014—15	09 / 2014	08 / 2014
2015—16	08 / 2015	09 / 2015
2016—17	09 / 2016	03 / 2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत भलोह, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 497/2017 दिनांक 19.07.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भलोह से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

सचिव, ग्राम पंचायत भलोह द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project और निर्विरोध निर्वाचित पंचायत अनुदान के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में बही खाते नहीं बनाए गए हैं। बही खाते नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्रोत की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट-1" पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न किया जाना:—

ग्राम पंचायत भलोह की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.20 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹34194 को खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount Of Interest Earned
2014-15	Unopposed Elected Panchayat Grant	12979
2015-16	Unopposed Elected Panchayat Grant	6209
2016-17	Unopposed Elected Panchayat Grant	595
Total		19783

7 पंचायत राजस्व की ₹0.07 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक राजस्व ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करने हेतु ठोस पग उठाये जाने सुनिश्चित किये जाये।

8 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, मस्ट्रोल इत्यादि के भुगतान हेतु ₹2.79 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाउचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹279347 के व्यय वाउचरों/मस्ट्रोलों का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों एवं सचिव को किया गया दर्शाया गया था। बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-3** पर दिया गया है। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर

पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्कर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या 498/2017 दिनांक 19.7.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 01 दिनांक 19.07.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत भलोह द्वारा सूचित किया गया कि ज्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेंगे।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:—

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

10 अनुदान की ₹15.95 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्त्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक प्राप्त अनुदानों की कुल ₹1595350 उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संस्था को किया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹4.96 लाख का अनियमित व्यय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-5" में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹496456 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण

अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त किये गये कार्यों को माप पुस्तिका में भी दर्ज नहीं किया गया है। जोकि संशय पैदा करता है कि वास्तव में परिशिष्ट में दर्शाये गये कार्य किये गये है अथवा नहीं जिसकी पूर्ण जाँच की जानी अपेक्षित है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.37 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-6" में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹437223 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय किए गए ₹0.51 लाख के स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भण्डार रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (a, b,c, एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई ₹51096 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण "परिशिष्ट-7" में दिया गया है, को क्रय करने के उपरान्त भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण के दौरान खरीदी गई सामग्री तथा उसकी खपत की जाँच नहीं की जा सकी। सामग्री की खरीद से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा खपत से सम्बन्धित माप पुस्तिका में प्रविष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

14 ₹0.06 लाख के मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान:—

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न Mustroll Payments की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया गया जिनका विवरण "परिशिष्ट-8" में दिया गया है। अतः ₹5976 का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों से किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

15 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15 (1)
5	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29 (4)
6	किराया मूग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)
9	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 विविध अनियमितताएं:-

(i) मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान मनरेगा से प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखाकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। परन्तु सभी भुगतान बिल वाउचर पंचायत स्तर पर ही तैयार किये जाते हैं तथा उनका अभिलेख भी पंचायत स्तर पर ही रखा जाता है इसलिए रोकड़ बही (Cash Book) का लिखा जाना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29 (4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत भलोह द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिका:**— लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

19 **निष्कर्ष:**— लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0-0177 2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 62/2017-खण्ड-1-6779-6782 दिनांक 18.11.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील मशोबरा, जिला शिमला, हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भलोह, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील मशोबरा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0-0177 2620881